वित्त निर्देश 40/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनाँक 04.08.2003.

प्रति,

आयुक्त,
कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय,
छत्तीसगढ़ रायपुर ।

विषयः- पेंशन कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों को यात्रा देयक का भुगतान ।

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक 269/427/वि/नि/चार/2001, दिनांक 6.12.2001 द्वारा गठित पेंशनर कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों को मंडल की बैठक में भाग लेने हेतु निम्नानुसार यात्रा व्यय के प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।

1. सदस्यों को निवास स्थान से बैठक के स्थान हेतु आने एवं जाने का रेल की प्रथम श्रेणी/ए.सी 2 टीयर या बस की उच्चतम श्रेणी का वास्तविक किराया ।
2. ''ए'' श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष दैनिक भत्ता, मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता ।
3. बैठक के स्थान में निवासरत सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक स्थल पर आने एवं जाने के लिए 100 रूपये प्रत्येक की दर से वाहन भत्ता देय होगा । शासकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने पर उक्त भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
4. अशासकीय सदस्य द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता देयक के प्रपत्र में देयक तैयार कर आयुक्त कोष एवं लेखा को प्रस्तुत किया जावेगा, तथा संचालनालय के पेंशन कक्ष के प्रभारी अपर संचालक/संयुक्त संचालक द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त कार्यालय के आकस्मिक व्यय मद से व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 616/634/वि/नि/चार/2003 रायपुर, दिनाँक 04.08.2003.

प्रतिलिपिः-

1. महालेखकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. वित्त विभाग (स्थापना शाखा) मंत्रालय ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय/सिटी कोषालय, रायपुर ।
4. समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग